न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम	सीमा मीना, रा.न्या.से.(UIDNO.RJ01558)
निर्णय दिनांक	24.03.2026
प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रेशन दिनांक	25.06.2016
रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या	105/2016
अंतर्गत धारा	147, 427, 447 भा.दं.संहिता
सी.आई.एस. नंबर	1856/2020
सी.एन.आर. नंबर	RJDS120002222016
एफ.आई.आर. नंबर	30/2016, पुलिस थाना सलैमपुर

राजस्थान राज्य **ब ना म**

(01) लक्ष्मण पुत्र हंसे **(फौत दौराने विचारण)**
(02) छिंगाराम पुत्र लक्ष्मण गुर्जर
(03) राजरोसी पुत्र लक्ष्मण गुर्जर
(04) रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण गुर्जर
(05) सियाराम पुत्र लक्ष्मण गुर्जर, समस्त निवासीगण खेडला बुजुर्ग, थाना सलैमपुर, जिला दौसा (राज.)

.....**अभियुक्तगण**

अपराध की दिनांक	04.03.2016
एफ.आई.आर. की दिनांक	06.03.2016
चार्जशीट पेश होने की दिनांक	25.06.2016
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	25.06.2016
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ होने की दिनांक	19.10.2016
बहस अंतिम की दिनांक	23.03.2026
निर्णय दिनांक	24.03.2026

अभियोजन गवाहों की सूची

क्रमांक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.ड.01	टिकम सिंह	शिकायतकर्ता
पी.ड.02	पूरण	अपराध को दृश्य के द्वारा दिखाया
पी.ड.03	बबली	घटना का चश्मदीद गवाह
पी.ड.04	नरशी राम	घटना का चश्मदीद गवाह

पी.ड.05	धर्म सिंह	घटना का चश्मदीद गवाह
पी.ड.06	सुरेश चंद	ड्यूटी ऑफिसर
पी.ड.07	उमेश शर्मा	घटना का चश्मदीद गवाह
पी.ड.08	गुमान सिंह	अपराध को दृश्य के द्वारा दिखाया
पी.ड.09	भगवान सिंह	घटना का चश्मदीद गवाह
पी.ड.10	दिनेश गुप्ता	घटना का चश्मदीद गवाह

अभियोजन के प्रदर्श की सूची

क्र. सं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी–1	तहरीर रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी–4	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह बबली
5.	प्रदर्श पी–5	लिखापढ़ी का दस्तावेज
6.	प्रदर्श पी–6	आरोप पत्र
7.	प्रदर्श पी–7	ख.नं. 594 का नकल नक्शा ट्रेस
8.	प्रदर्श पी–8	जमाबंदी (सम्वत् 2072) खेडला बुजुर्ग
9.	प्रदर्श पी–9	ख.नं. 1789 नकल नक्शा ट्रेस
10.	प्रदर्श पी–10	जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 (सम्वत् 2071) खेडला बुजुर्ग
11.	प्रदर्श पी–11	खसरा गिरदावरी
12.	प्रदर्श पी–12	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह दिनेश कुमार गुप्ता

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 147, 427, 447 भा.दं.संहिता</u>

<u>नोटः– प्रकरण में अभियुक्त लक्ष्मण की मृत्यु होने से उसके विरूद्ध दिनांक 07.03.2026 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। अब शेष मुलजिमान की हद तक ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।</u>

उपस्थित : –

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी राज. की ओर से।

02. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री भंवर सिंह।

:: निर्णय :: **दिनांक : 24.03.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 06.03.2016 को परिवादी टीकम सिंह के द्वारा उपस्थित थाना सलैमपुर होकर इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि वह दौसा का रहने वाला है। उनके और धर्म, फिरंगी के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। यह जमीन उसने जरिये इकरारनामा विक्रय पत्र पर धर्म, फिरंगी से बमौजूदगी चरन, नरसीराम, भगवान सिंह की मौजूदगी में खसरा संख्या 594 कुल 2 बीघा तहरीर रिपोर्ट की दिनांक से करीब 24 साल पहले खरीदी थी जिस पर उसका कब्जा बरकरार चला आ रहा है तथा इस जमीन को तभी से बोता आ रहा है। आज सुबह उसके खेतों की तरफ गया तो उक्त खरीदी गई जमीन खसरा संख्या 594 में कुछ लोग दिखे तो वह उनके पास गया तो देखा कि लक्ष्मण, रामेश्वर, सियाराम, छिंगा, राजरौसी, बबलेश, कन्हैया, लोकेन्दर, विश्वेन्दर, कमलेश, विमल, सपूत, निर्मला उसके द्व ारा खरीदी गई बकब्जे भूमि से सरसो को काट रहे थे। वह अपने आपको अकेला देख व उनके डर की वजह से वहां से अपने घर पर आ गया और वे सभी लोग सरसों को काट कर अपने घर पर ले आये तथा वे सभी लोग उसके द्वारा खरीदी गई जमीन खसरा संख्या 594 पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है.....इत्यादि, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सलैमपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2016 अंतर्गत धारा 143, 379, 447 भा.दं.संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

02. बाद अनुसंधान अभियुक्तगण लक्ष्मण, रामेश्वर, सीयाराम, छिंगाराम व राजरौसी के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147, 427, 447 भा0द0संहिता के तहत न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 427, 447 भा0द0संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

03. अभियुक्तगण को धारा 147, 427, 447 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों को सुन समझकर अपराध से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य आरम्भ की गई।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 10 को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–12 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

05. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधानानुसार लेखबद्व किये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये कथन किया कि ''मैं निर्दोष हूं, मुझे झूंठा फसाया है।'' जिस पर साक्ष्य सफाई समाप्त की गई।

06. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन रहा कि पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध संदेह से परे अभियोजन की ओर से साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जावे।

07. इसके विपरीत बहस के दौरान अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा है कि अभियुक्तगण को झूंठा फसाया गया है। अभियोजन का मामला सन्देह से परे साबित नहीं है। परिवादी विवादित खेत को अपना खेत होना साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही रहे है। ऐसे में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावें।

08. सुना गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ बिन्दु यह उत्पन्न होता है किः–

''आया कि क्या दिनांक 04.03.2016 को सुबह के समय खेडला बुजुर्ग स्थित परिवादी के खेत खसरा संख्या 594 पर अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में मजरूब टीकम सिंह को आर्थिक नुकसान कारित करने के आशय से परिवादी के खेत की सरसो की फसल को काटकर ले गये, जिससे प्रार्थी को 50/– रूपये से अधिक की क्षति कारित की तथा परिवादी को

अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से परिवादी के खेत मे सरसो की फसल को कटाकर अपराधिक अतिचार कारित किया ?

यदि हॉ तो दण्ड की मात्रा कितनी होगी?''

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित करवाये गये हैं जिनमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण **गवाह/परिवादी पी.ड.1 टीकम सिंह है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि** उसने दो बीघा जमीन धर्म, फिरंगी से खरीदी थी जो उसने साठ हजार रूपये में बयान दिवस से 30 वर्ष पहले खरीदी थी। उसका खसरा नं. 594 है। जब से उसने वह जमीन खरीदी है तब से वह कास्त करता आ रहा है। उसने सन् 2016 में उस जमीन में सरसों बोई थी। उसकी सरसों को लक्ष्मण, रामेश्वर, सिया, छंगा, राजरोसी, कमलेश, विमल, शकूर, लोकेन्द्र, विष्णु, कन्हैया आदि लोग काटकर ले गये थे। वह सुबह जब खेत पर गया तो उक्त लोग उसकी सरसों को काट रहे थे उक्त लोग उस जमीन में से जबरदस्ती हिस्सा लेना चाह रहे थे इसलिये सरसों काट रहे थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है इन सभी पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाह ने कथन किया कि** विवादित जमीन खातेदारी धर्म, फिरंगी के नाम है। इसका खसरा संख्या 594 है। उसने 2018 में सरसो की थी व 2012 में भी सरको काश्त की थी। पुलिस मौके पर दूसरे दिन आई थी। मौके पर केवल वह ही था और कोई नहीं था। उसने सरसों काटने के तीसरे दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

10. **गवाह पी.ड.02 पूरण सिंह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल मेरे घर से करीब आधा मील दूर था। जहां पर पुलिस आई थी। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि** जिस समय पुलिस आई उस समय वह घर पर था। वही उसके हस्ताक्षर कराये कागज खाली था कैसा था, उसे ध्यान नहीं है।

11. **गवाह पी.ड.3 बबली कुमार है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में**

सशपथ कथन किया है कि घटना की तारीख मुझे याद नही है। मेरे खेत की बगल में सरलाल, लल्लू रामस्वरूप और धर्मी मास्टर एवं टीकम का खेत है। 2016 में टीकम ने अपने खेत में क्या बोया था यह मुझे पता नहीं है। टीकम के खेत में घुसकर फसल किसने नष्ट की मुझे पता नही है। **उक्त गवाह ने जिरह एपीओ में कथन किया कि** पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 का ए से बी भाग व सी से डी भाग सही है लेकिन ई से एफ भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। लक्ष्मण, सियाराम, राजरोसी सभी उसके बेटे लगते हे। **उक्त गवाह ने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में कथन किया कि** उसने उक्त लोगों के मध्य कभी झगड़ा नहीं देखा। उसने उक्त लोगों द्वारा टीकम की फसल नष्ट करते हुए नहीं देखा।

12. **गवाह पी.ड.4 नरसीराम है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** वह धर्मसिंह और फिरंगी को जानता है। उसने धर्मसिंह और फिरंगी की जमीन को बेचान 60,000/–रूपये में टीकम को बेची थी, जिसकी लिखापढी उसके सामने उसने अपने हाथ से की थी। धर्मसिंह और फिरंगी की जमीन की रजिस्ट्री टीकम के नाम हुई थी। लिखापढी जिस कागज पर हुई थी जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं इस जमीन का कब्जा भी टीकम को दिया दिया था। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि** उसके द्वारा मात्र लिखापढ़ी की गई है, इसके अलावा इनके मध्य किसी भी प्रकार का विवाद हो यह उसे पता नहीं है। खेती के बारे में उसे कुछ नहीं पता है।

13. **गवाह पी.ड.5 धर्म सिंह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** टीकम ने करीब 20 साल पहले उससे व उसके भाई फिरंगी से 30 हजार रुपये बीघा में कुल 60 हजार रुपये मे जमीन खरीदी थी। और उन्होंने उस दो बीघा जमीन का कब्जा टीकम को दे दिया था। इस दो बीघा जमीन का इकरारनामा उसके सामने हुआ था। उस समय नरसीराम, भगवानसिंह, चरणसिंह उपस्थिति थे, तब से इस जमीन पर टीकम का ही कब्जा चल रहा है। इस जमीन की लिखावट प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। वर्ष 2016 में इस जमीन पर टीकम ने कौनसी फसल बो रखी थी उसे ध्यान नहीं है। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि**

उसे यह ध्यान नहीं है कि टीकम को उसने यह जमीन कौनसे वर्ष में बेची थी। उसने जो जमीन बेची थी उस पर कोई वाद–विवाद नहीं था। वह यह नहीं बता सकता कि इस जमीन पर टीकम क्या फसल बोता था। टीकम की फसल को किसी अन्य व्यक्ति ने काटा हो तो वह नहीं बता सकता, अजखुदा कहा कि टीकम ने खुद ने ही काटी होगी।

14. **गवाह पी.ड.6 सुरेशचंद शर्मा है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** वह दिनांक 06.03.2016 को थाना सलैमपुर पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन टीकमसिंह की तहरीर पर मुकदमा संख्या 30/2016 धारा 143, 447, 379 भा.दं.सं. में दर्ज कर तफ्तीश विश्म्भरदयाल हैड कानि. को सुपुर्द की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 01 एवं चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 पर सी से डी उसे हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका विशम्भर ने गवाहान की उपस्थिति में बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है। गवाहान के बयान पटवारी से प्राप्त खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस एवं आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली में शामिल था। मजरूबान की लिखावट जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ई से एफ विशम्भर के हस्ताक्षर है जो पत्रावली में थी। उपरोक्त समस्त अनुसंधान के पश्चात लक्ष्मण, रामेश्वर, सियाराम, छिंगाराम और राजरोशी के विरूद्ध धारा 147, 427, 447 भा0दं0सं0 के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली उसे सुपुर्द की जिस पर उसने चालान न्यायालय में पेश किया जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि** यह सही है कि उसके द्वारा इस पत्रावली में अनुसंधान नहीं किया गया है।

15. **गवाह पी.ड.7 उमेशचंद है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** दिनांक 28.03.2016 को हल्का पटवार खेडला पर पटवारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस की तहरीर पर खसरा नं. 594 एवं खसरा नं. 1789 की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस उससे चाहे गये जिस पर उसने पुलिस थाना सलैमपुर को नक्शा ट्रैस, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई थी। खसरा संख्या 594 का नक्शा ट्रैस प्रदर्श पी 07 एवं जमाबंदी प्रदर्श पी 08 एवं खसरा नं. 1789 का नक्शा ट्रैस प्रदर्श पी 09 है तथा जमाबंदी प्रदर्श पी 10 है। गिरदावरी प्रदर्श पी 11 है। उक्त सभी पर ए

से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि** यह सही है कि जिस तहरीर पर उसने पुलिस का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जो इस पत्रावली में नहीं है। अजखुद कहा कि तहसीलदार के मौखिक रूप से कहने पर दिये थे। विवाद के विषय में उसे पता नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि जिस पर विवाद था उस जमीन पर कौनसी फसल थी।

16. **गवाह पी.ड.8 गुमान सिंह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका मेरे सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है,जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। नक्शामौका बनाते समय गाव के अन्य लोग भी मौजूद थें। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि** जिस समय नक्शा मौका बनाया गया उस समय वहा पर करीब 4–5 लोग उपस्थित थे। नक्शा दिनांक 07.03.2016 को बनाया गया था। नक्शा मौका पर अन्य किसी के हस्ताक्षर पुलिस ने कराये हो तो उसे मालूम नही है। वह नक्शा मौका में नही समझता है।

17. **गवाह पी.ड.9 भगवान सिंह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** टीकम ने 02 बीघा जमीन धर्मसिंह से 60,000/–रूपये में खरीदी थी। इस जमीन को खरीदने की तारीख से टीकम और धनीराम का ही कब्जा चला आ रहा है क्या फसल बो रखी थी उसे पता नहीं है लेकिन सरसों का हल्ला हो रहा था। उसे पता नहीं है कि टीकम की सरसों को किसने नष्ट किया था। सरसों काटने का हल्ला सुना था जो तीनों भाईयों ने काटी थी। जिस समय सरसों काटी थी उस समय वह नहीं था। यह कहना सही है कि यदि सरसों लक्ष्मण व उसके परिवारजनों ने काटी हो तो उसे पता नहीं है। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि** यह सही है कि वह विवाद वाले खेत पर कभी नहीं गया है। उसे यह भी पता नहीं है कि किसने खेत में क्या बोया और किसने क्या काटा है। उसने मुलजिमान को कभी सरसो काटते नहीं देखा है।

18. **गवाह पी.ड.10 दिनेश कुमार गुप्ता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** टीकम ने खेत किससे खरीदा था उसे पता नहीं है। टीकम के खेत में घुसकर फसल किसने काटी थी उसे पता नहीं है और किसने पशु खेत में घुसाये थे उसे पता नहीं है। उक्त गवाह को

अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **उक्त गवाह ने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में कथन किया कि** उसे यह पता नहीं है कि इस खेत को ये तीनों भाई काश्त करते है या नहीं। उसे यह पता नहीं है कि खेत किसका है और कौन काश्त कर रहा है। उसे यह भी पता नहीं है कि खेत पर कौनसी फसल बोई और किसने काटी थी।

19. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर आयी उपरोक्त समस्त साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.1 टीकम सिंह है जो कि प्रकरण में परिवादी भी रहा है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि उसने दो बीघा जमीन धर्म, फिरंगी से खरीदी थी जो उसने साठ हजार रूपये में बयान दिवस से 30 वर्ष पहले खरीदी थी। उसका खसरा नं. 594 है। जब से उसने वह जमीन खरीदी है तब से वह कास्त करता आ रहा है। उसने सन् 2016 में उस जमीन में सरसों बोई थी। उसकी सरसों को लक्ष्मण, रामेश्वर, सिया, छंगा, राजरोसी, कमलेश, विमल, शकूर, लोकेन्द्र, विष्णु, कन्हैया आदि लोग काटकर ले गये थे। वह सुबह जब खेत पर गया तो उक्त लोग उसकी सरसों को काट रहे थे उक्त लोग उस जमीन में से जबरदस्ती हिस्सा लेना चाह रहे थे इसलिये सरसों काट रहे थे। वही जिरह में यह गवाह ने कथन किया है कि विवादित जमीन खातेदारी धर्म, फिरंगी के नाम है। जिसका खसरा संख्या 594 है। उसने 2018 में सरसो की थी व 2012 में भी सरसो काश्त की थी। क्या कारण रहा कि परिवादी मात्र वर्ष 2012 व 2018 में सरसो काश्त करना बताता हैं जबकि मुख्य परीक्षण में 30 वर्ष पूर्व ही विवादित भूमि खरीदी जा चुकी थी। वह सम्पूर्ण समयावधि के बाबत् कथन कर सकता था, कही पर भी उसे कितनी सरसों का नुकसान हुआ नहीं बताया है ना ही रूपयों के अनुसार ही बताया है। पुलिस मौके पर दूसरे दिन आई थी। मौके पर केवल वह ही था और कोई नहीं था। उसने सरसों काटने के तीसरे दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस देरी का भी परिवादी ने कोई कारण नहीं बताया है जबकि अभियोजन कहानी के मुताबिक घटना दिनांक 04.03.2016 की है। घटनास्थल से थाना की दूरी 0.5 कि.मी. बताई गई है और परिवादी का प्रकरण दिनांक 06.03.2016 को दर्ज हुआ है। घटना सुबह के समय 13–14 व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करना बताया गया है तो प्रकरण का दो

दिवस देरी से दर्ज होना प्रकरण में संन्देह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड.3 बबली कुमार व पी.ड.10 दिनेश कुमार गुप्ता प्रकरण में पक्षद्रोही रहे है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं किया है। चश्मदीद गवाह पी.ड.4 नरसीराम रहा है, जो कि धर्म सिंह व फिरंगी की जमीन को 60,000/– रूपये में टीकम को बेचना कथन करता है, जिसकी लिखापढ़ी कागज प्रदर्श पी–5 पर होना कथन करता है, परन्तु उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी–5 एक सादा कागज पर लिखापढ़ी का है जिससे यह स्पष्ट दर्शित नहीं होता कि किस भूमि का बेचान किया गया। इसी प्रकार गवाह पी.ड.5 धर्म सिंह भी दो बीघा जमीन 60,000/– रूपये में टीकम को बेचान किया जाने का कथन करता है। उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि टीकम की फसल को किसी अन्य व्यक्ति ने काटा हो तो वह नहीं बता सकता। अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड.9 भगवान सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि क्या फसल बो रखी थी उसे पता नहीं है लेकिन सरसों का हल्ला हो रहा था। उसे पता नहीं है कि टीकम की सरसों को किसने नष्ट किया था। सरसों काटने का हल्ला सुना था जो तीनों भाईयों ने काटी थी। जिस समय सरसों काटी थी उस समय वह नहीं था। यह कहना सही है कि यदि सरसों लक्ष्मण व उसके परिवारजनों ने काटी हो तो उसे पता नहीं है। **उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि** यह सही है कि वह विवाद वाले खेत पर कभी नहीं गया है। उसे यह भी पता नहीं है कि किसने खेत में क्या बोया और किसने क्या काटा है। उसने मुलजिमान को कभी सरसो काटते नहीं देखा है। इस प्रकार उक्त गवाह भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। गवाह पी.ड.7 उमेश चंद जो हल्का पटवारी है। जिसने पुलिस की तहरीर पर खसरा संख्या 594 एवं खसरा संख्या 1789 की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पुलिस को दिये जाना कथन किया है। गवाह पी.ड.6 सुरेश चंद शर्मा ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि उसके द्वारा इस पत्रावली में अनुसंधान नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त गवाह भी मात्र औपचारिक गवाह है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी फौत हो जाने से साक्ष्य अभियोजन में परीक्षित नहीं हुआ है। यदि परिवादी पक्ष के कथनों को सही माना जाए कि उसके खेतों में घुसकर अभियुक्तगणों के द्वारा सरसो

काटकर ले जाई गई तो दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई सरसों बरामद नहीं की। नक्शा मौका का गवाह पी.ड.2 पूरण सिंह अपनी जिरह में कथन करता है कि जिस समय पुलिस आई उस समय वह घ ार पर था। वही उसके हस्ताक्षर कराये कागज खाली था कैसा था, उसे ध्यान नहीं है। इसी प्रकार नक्शा मौका गवाह पी.ड.3 गुमान सिंह ने जिरह में कथन किया है कि जिस समय नक्शा मौका बनाया गया उस समय वहां पर करीब 4–5 लोग उपस्थित थे। नक्शा मौका पर अन्य किसी के हस्ताक्षर पुलिस ने कराये हो तो उसे मालूम नही है। वह नक्शा मौका में नही समझता है। अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में इस बिन्दु पर अनुसंधान नहीं किया कि सरसो की फसल कितने समय पहले काटी गई। इस संबंध में आस–पड़ौस के खेत वालों के लिये गये बयानों से भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के खेत से सरसों की फसल काटे जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिससे यह निष्कर्ष निकल सकता था कि क्या फसल परिवादी पक्ष के द्वारा काटी गई है या मुल्जिम पक्ष के द्वारा काटी गई है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 447 भा.दं.संहिता का अपराध साबित करने के लिए जरूरी था कि अभियोजन अभियुक्तगण का परिवादी के खेत में घुसने के तथ्य को साबित करता। यदि एक पल को मान भी ले कि खेत परिवादी का ही था तो किसी भी गवाह ने अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के खेत में घुसने व फसल काटने का कथन नहीं किया है। इसी प्रकार धारा 427 भा.दं.संहिता के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को परिवादी को हुए आर्थिक नुकसान के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी। गवाह संख्या पी.ड.3 बबली कुमार जो उसका खेत परिवादी के बगल में बताता है, वह जिरह में स्पष्ट कहता है कि उसने उक्त लोगों द्वारा टीकम की फसल नष्ट करते हुए नहीं देखा, ना ही परिवादी पी.ड.1 स्वयं अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन करता है। इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं आई है। परिवादी की ओर से प्रकरण के समस्त दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं कराये हैं। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रकरण का देरी से दर्ज कराना व गवाहों के विरोधाभासी बयानों के कारण अभियोजन के मामले में संदेह विद्य मान है और अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे

साबित नहीं कर पाया है।

20. पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 427, 447 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

21. अतः अभियुक्तगण (1) छिंगाराम पुत्र लक्ष्मण गुर्जर (2) राजरोसी पुत्र लक्ष्मण गुर्जर (3) रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण गुर्जर (4) सियाराम पुत्र लक्ष्मण गुर्जर, समस्त निवासीगण खेडला बुजुर्ग, थाना सलैमपुर, जिला दौसा (राज.) को आरोप अन्तर्गत धारा 147, 427, 447 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
महवा जिला दौसा

19. उक्त निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा के विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
महवा जिला दौसा